Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to create Legislative Council in Madhya Pradesh.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): भारतीय लोकतंत्र की मनीषा है कि सरकार में सबका सरोकार हो, सबका सहकार हो, हमारी सरकार भी सबका साथ व सबका विकास को केंद्र में रखकर गतिशील है।

हमारे यहां लोक सभा के साथ ही राज्य सभा के गठन की सुंदर व्यवस्था है। ठीक ऐसा ही राज्यों में विधान परिषदों के गठन की संवैधानिक मनीषा रही है, जहां तक मैं समझती हूं इसके पीछे चुनावी राजनीति के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त लोगों के अध्ययन व अनुभवों को सदन के माध्यम से जानकर उसके उपयोग और लाभ को प्राप्त करने की मंशा है।

मैं ऐसा मानती हूं कि कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता और अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग लोगों की विशेषज्ञता होती है। जैसे खेल व खेल की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग, साहित्य और उसकी विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग, किसानों के बीच, विधार्थियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानकर, उनके उत्थान के लिए काम करने वाले लोग, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग इन सभी प्रतिभाशाली लोगों के अनुभवों की हमें व सदन को आवश्यकता होती है।

किन्तु कई ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद के गठन की व्यवस्था नहीं है, मैं विशेषतया मध्य प्रदेश राज्य की बात कर रही हूं, विधान परिषद के गठन के अभाव में कई दशकों से विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का लाभ हम नहीं ले सके। जबकि हमारे कई पड़ोसी राज्य जैसे- उत्तर प्रदेश, बिहार में विधान परिषदें गठित हैं वो प्रदेश उनसे लाभान्वित हो रहे हैं।

मैंने सुना है कि राष्ट्रकवि दिनकर हमारे उच्च सदन के कभी हिस्सा हुआ करते थे, ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि देश में राज्य सभा की व्यवस्था है।

इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में कई दिनकर, कई तेन्दुलकर जैसी प्रतिभाओं का हम विधान परिषद के अभाव में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश राज्य में विधान परिषद का होना विशिष्ट प्रतिभाओं के लिए सुअवसर है तो प्रदेश और सरकार के लिए अत्यंत उपयोगी।

मैं सरकार से आपसे और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आग्रह करती हूं कि हमारे राज्य मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर प्रतिभाओं को समुचित सुअवसर दिलाने का कष्ट करें।